राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक :– प.2(1)साप्र/2/17 पार्ट जयपुर, दिनांक :16 मार्च, 2018

–: आदेश :–

राज्य सरकार द्वारा ओल्ड एमआरईसी कैम्पस, जयपुर में निर्मित राजकीय आवासों के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस सन्दर्भ में ओल्ड एमआरईसी कैम्पस में निर्मित राजकीय आवासों में वर्तमान में आवासित निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा निम्नानुसार आवंटन किया जाता है:–

क्र. सं.	Occupant का नाम	वर्तमान आवास संख्या	वर्तमान आवास की Category	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास
1	2	3	4	5	6
	डॉ0 शर्मिष्ठा विजय वरिष्ठ प्रदर्शक, दन्त चिकित्सालय, जयपुर।	A Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.5.22	ई–920, गांधीनगर
2.	श्री श्रवण सिंह शेखावत सहायक अभियन्ता यांत्रिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उप खण्ड–6 जयपुर।	B Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	28.2.22	III/40, गांधीनगर
3.	डॉ0 विभा शर्मा सांख्यिकी अधिकारी निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर।	D Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.7.36	III/98, गांधीनगर
4.	श्रीमती लवीना मित्तल वरिष्ठ प्रवक्ता, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, गाधीनगर जयपुर	F Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.5.39	III/58, गांधीनगर
5.	श्रीमती रजनी भावनानी सतत् शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी निदेशालय सतत् शिक्षा विभाग,	H Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	30.4.21	III/68 गांधीनगर
6.	श्रीमती डा0 साक्षी ग्रोवर चिकित्सा अधिकारी दन्त सामुदायिक केन्द्र सांगानेर,	I Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	30.9.30	III/69, गांधीनगर
7.	श्री वासुदेव दाधीच, वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिवालय,	J Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.8.18	III/72, गांधीनगर
8.	श्री सुरेश दुर्गानी सहायक अनुभागाधिकारी प्रशासनिक सुधार विभाग,	L Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.7.19	III/84, गांधीनगर
9.	श्री लेखराज तोसावडा उप शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।	M Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.12.22	II/51 गांधीनगर
10.	श्री धनपतराज सांखला पुलिस उप अधीक्षक, यातायात पूर्व जयपुर शहर	O Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.1.34	II/34 गॉधीनगर
11.	श्री शंकर दत्त शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी,	P Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	30.6.28	II/48 गॉधीनगर
12.	श्रीमती माया मीणा व्याख्याता राजकीय महारानी बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर।	R Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.8.22	III/94 गॉधीनगर
13.	श्री देवाराम सैनी आर.ए.एस उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण,	S Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.8.29	ई–740, गॉधीनगर
14.	श्रीमती कल्पना जोशी प्रवक्ता, सी.डी.डी.एम. राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	T Block MREC Campus	तृतीय श्रेणी	31.10.24	III/95 गॉधीनगर
15.	श्री शुभकरण सहायक लेखाधिकारी, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	ई–2, गांधीनगर	तृतीय श्रेणी	31.1.2022	III/96 गॉधीनगर
16.	श्री गौरव बजाड़ उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	ई–6, गांधीनगर	तृतीय श्रेणी	30.11.30	ई–737, गॉधीनगर
17.	श्री विश्वजीत सिंह पुरावत निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम, जयपुर।	ई–7, गांधीनगर	तृतीय श्रेणी	28.2.2029	एम–5, गॉधीनगर
18.	श्रीमती उषा कपूर सतसंगी उप रजिस्ट्रार सहकारिता प्रधान कार्यालय, जयपुर	ई–8, गांधीनगर	तृतीय श्रेणी	30.4.2028	III/102 गॉधीनगर
19.	श्रीमती आरती बागोटिया वरिष्ठ लेखाधिकारी, निदेशक स्थानीय निकाय विभाग	ई–9, गांधीनगर	तृतीय श्रेणी	30.11.24	6/III/ए बहुमंजिला गॉधीनगर
20.	श्री मेघराज सिंह पुत्र श्री राधेश्याम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग	H-3 MREC Campus	एच श्रेणी	31.1.33	एच–502 गॉधीनगर

21.	श्री चेतन कुमार सैन पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश सैन, लिपिक ग्रेड–द्वितीय उद्यान विभाग	H-4 MREC Campus	एच श्रेणी	31.5.2057	एच–509 गाँधीनगर
22.	श्री तुला राम पुत्र श्री प्रेमबहादुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	H-5 MREC Campus	एच श्रेणी	30.6.26	एच–516 गाँधीनगर

शर्ते :–

1. उक्त अधिकारियों/कार्मिकों को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 30.06.2018 तक ओल्ड एमआरईसी कैम्पस का आवास रिक्त कर कब्जा आवश्यक रूप से सम्बन्धित अधिकारी को सुपुर्द करेंगे।
2. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा।
3. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
4. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा व राजकीय आवास रिक्त करना होगा।
6. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा तथा राजकीय आवास तत्काल रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगीः–
   (1) आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है व अभी भी राजकीय सेवा में रहते हुए जयपुर में ही पदस्थापित है।
   (2) आवेदक के स्वयं, पति/पत्नी तथा उस पर आश्रित परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम जयपुर नगरीय सीमा में कोई भी निर्मित आवास/फ्लैट नहीं है।
8. अगर किसी भी अधिकारी/कार्मिक द्वारा असत्य सूचनाएँ दी/तथ्य छुपाये या उक्त शर्तो की अवहेलना की तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवास रिक्त कराने की व कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तो की भी पालना करनी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त शर्तो की पूर्ति कर उन्हें नवीन आवास का कब्जा सुपुर्द करें तथा साथ ही दिनांक 03 जुलाई, 2018 तक इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि किस आवंटी ने कितनी तारीख को ओल्ड एमआरईसी आवास रिक्त किया तथा कितनी तारीख को नवीन आवंटित आवास का कब्जा लिया?**
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
8. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
13. **सम्बन्धित आवण्टी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।**
14. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

<u>प्रपत्र</u>

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नही है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर